जमा ..... द्वारा
12/7/16 को

-1-

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निग 2295-I/16

क्लर्क ऑफ कोर्ट
मण्डल म.प्र ग्वालियर

1. रामकृष्ण चतुर्वेदी पिता दादूभाई
निवासी मुख्त्यारगंज तहसील रघुराज जिला सतना म.प्र.
डायरेक्टर विध्य सर्जिकल इंण्डस्ट्रीज लिमिटेड (सुन्दरा)
तहसील देवेन्द्रनगर जिला पन्ना म.प्र.
2. प्रदीप जैन पिता स्व. गनेशीलाल जैन
निवासी देवेन्द्रनगर तहसील देवेन्द्र नगर जिला पन्ना म.प्र.

..................निगरानीकर्तागण

बनाम

मेसर्स विध्य सर्जिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रबंध निर्देशक
रामदेव गुप्ता पिता स्व. मुखलाल देव गुप्ता निवासी सारनाथ
वाराणसी, तहसील व जिला बनारस (उ.प्र.)

.... उत्तरार्थी

निगरानी विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी जरिए प्रकरण क्र. 16/अपील/ अ–6/2014–15 दिनांक 29.04.2016 अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता

मान्यवर

निगरानीकर्ता निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनय करता है :–

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार है :–

यह कि, निगरानीकर्तागण/आवेदकगण रामकृष्ण चतुर्वेदी निवासी मुख्त्यारगंज तहसील रघुराज जिला सतना जो विंध्य सर्जिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सुन्दरा तहसील देवेन्द्रनगर जिला पन्ना की ओर से विचारण न्यायालय में धारा 115,116 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम सुन्दरा स्थित आराजी नं 554/1, 555/1, 557/2 कुल किता 3 कुल रकवा 0.40 हेक्ट., राजस्व अभिलेख में प्रबंध निर्देशक रामदेव गुप्ता विंध्य सर्जिकल इंण्डस्ट्रीज लिमिटेड सुन्दरा के नाम दर्ज है। उक्त आराजी आवेदक के स्वत्व

-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 2295-एक/2016 निगरानी जिला पन्ना

दिनांक तथा	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-7-16.	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, पन्ना व्दारा प्रकरण कमांक 16/14-15 अ-6 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-4-2016 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार देवेन्द्रनगर को आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम सुन्दरा स्थित भूमि सर्वे नंबर 554/1 मिन-2, सर्वे नंबर 555/1, सर्वे नंबर 557/2 कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) फर्म के पार्टनर रामदेव गुप्ता के नाम फर्म के कार्य हेतु शासकीय अभिलेख में बतौर प्रबंध निदेशक नाम दर्ज कराया था। भूमि कय करने के वाद यह भूमि विंध्य सर्जिकल इन्ड्रस्टीज लिमि0 व्दारा प्रबंधक रामदेव गुप्ता सिविल लाईन सतना अभिलेख में दर्ज चली आई है किन्तु रामदेव गुप्ता पिछले 15 साल से लापता है जिसके जीवित होने की जानकारी भी नहीं है इसलिये रामदेव गुप्ता के स्थान पर प्रबंध निदेशक आवेदक रामकृष्ण पुत्र दादूभाई चतुर्वेदी को दर्ज किया जाय। तहसीलदार देवेन्द्रनगर ने प्रकरण कमांक 38 अ-6-अ/ 12-13 पंजीबद्ध किया तथा जॉच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 24-7-2013 पारित करके रामदेव गुप्ता के स्थान पर रामकृष्ण पुत्र दादूभाई चतुर्वेदी का नाम प्रबंध निदेशक दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने	

निग०प्र0क0 2295-एक/2016

अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 16/14-15 अ-6 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-4-2016 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 24-7-13 निरस्त कर दिया।

3/ वादग्रस्त भूमि तहसीलदार के आदेश दिनांक 24-7-13 से रामकृष्ण पुत्र दादूभाई चतुर्वेदी प्रबंध निदेशक के नाम हो जाने पर पंजीकृत विकय पत्र दिनॉक 26-9-14 से प्रदीप कुमार जैन पुत्र गणेशीलाल जैन निवासी देवेन्द्रनगर को विकय कर दी एंव विकय पत्र के आधार पर प्रकरण कमांक 11 अ-6/14715 में पारित आदेश दिनॉक 29-4-2015 से केता का नामान्तरण कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध अन्य अपील (जिसका प्रकरण कमांक अनुविभागीय अधिकारी पन्ना ने आदेश दिनांक 29-4-16 में नहीं दिया है) अनुविभागीय अधिकारी ने पक्षकारों को सुनकर प्रकरण कमांक 16/14-15 अ-6 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-4-2016 से तहसीलदार देवेन्द्रनगर के आदेश दिनॉक 24-7-13 एंव 29-4-2015 को निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक की अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5/ प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से प्रथम दृष्टया पाया गया कि ग्राम सुन्दरा स्थित भूमि सर्वे नंबर 554/1 मिन-2, सर्वे नंबर 555/1, सर्वे नंबर 557/2 कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 हैक्टर पर रामदेव गुप्ता के नाम की शासकीय

(a)BR(H)-10

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 2295-एक/2016 **निगरानी** जिला पन्ना

कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों हस्ताक्षर

अभिलेख में बतौर प्रबंध निदेशक प्रविष्टि दर्ज चली आ रही थी, जबकि वह पिछले 15 वर्ष से लापता था। तहसीलदार ने रामदेव गुप्ता की तस्दीक एंव हाजिर होने के लिये सूचना पत्र भेजने के अतिरिक्त समाचार पत्र दैनिक भास्कर तथा नवभारत में विज्ञप्तियों का प्रकाशन कराया है एंव रामदेव गुप्ता के परिजनों या अन्य सम्बन्धियों की उपस्थिति हेतु भी इसी विज्ञप्ति में सूचना जारी की गई थी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। परिणामतः तहसीलदार ने जॉच करते हुये एंव साक्ष्य आदि अंकित करते हुये प्रकरण कमांक 38 अ-6-अ/12-13 में पारित आदेश दिनांक 24-7-2013 से नवनियुक्त प्रबंध निदेशक रामकृष्ण चतुर्वेदी के नाम की खसरा प्रविष्टि सॅशोधित कर दी, क्योंकि वादग्रस्त भूमि फर्म के स्वामित्व की है और इस भूमि पर रामदेव गुप्ता केवल प्रबंध संचालक की हैसियत से नामांकित रहा है, जिसके कारण भूमि फर्म की बनी रहे, तहसीलदार ने संहिता की धारा 115,116 के अंतर्गत मात्र प्रबंध संचालक के नाम का सॅशोधन स्वीकार किया है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण की वास्तविक स्थिति में न जाकर भ्रमपूर्ण अर्थ निकालते हुये तहसीलदार के आदेश दिनांक 24-7-13 को निरस्त करने में भूल की है।

6/ जहॉ तक फर्म के नये प्रबंधक संचालक व्दारा भूमि पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 26-9-14 से प्रदीप कुमार जैन पुत्र गणेशीलाल जैन निवासी देवेन्द्रनगर को विकय कर देने एंव

विक्रय पत्र पर से आदेश दिनांक 29-4-15 व्दारा नामान्तरण किये जाने का प्रश्न है ? पंजीकृत पत्र पर से केता का नामान्तरण किया जायेगा, जब तक कि व्यवहार न्यायालय से विक्रय पत्र को शून्य घोषित न कराया जाय। जहॉ तक रामदेव व्दारा वादग्रस्त भूमि को विंध्य सर्जिकल इण्ड्रस्टीज लिमि० के बजाय स्वयं के स्वत्व एंव स्वामित्व की बताकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपील करने का प्रश्न है ? भूमि विंध्य सर्जिकल इण्ड्रस्टीज लिमि० के स्वत्व व स्वामित्व की है अथवा रामदेव के निजी स्वत्व व स्वामित्व की भूमि है - रामदेव गुप्ता को व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का दावा निराकृत कराना होगा। वादग्रस्त भूमि विंध्य सर्जिकल इण्ड्रस्टीज लिमि० की है एंव विंध्य सर्जिकल इण्ड्रस्टीज लिमि० के पदाधिकारियों की सहमति पर नये नामांत्रिती प्रबंध निदेशक रामकृष्ण चतुर्वेदी के नाम का सॅशोधन तहसीलदार ने किया है जिसके कारण रामदेव गुप्ता वादोक्त भूमि से असम्बद्ध व्यक्ति होकर अपील करने की पात्रता नहीं रखता है और फर्म के पदाधिकारियों की सहमति बनने पर ही नवनियुक्त प्रबंध निदेशक भूमि विक्रय कर सकता है और ऐसे विक्रय पत्र पर से केता का किया गया नामान्तरण सही है। अतएव आवेदक के अभिभाषक के उक्तानुसार तर्क उचित प्रतीत होते होने से माने जाने योग्य हैं।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी पन्ना व्दारा प्रकरण कमांक 16/14-15 अ-6 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-4-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः तहसीलदार देवेन्द्रनगर व्दारा पारित आदेश दिनॉक 24-7-13 एंव 29-4-2015 उचित पाये जाने से यथावत् रखे जाते हैं।

सदस्य